Control of Navigation equipment at Airport*

1219. DR. BAPU KALDATE:

SHRI KAMAL MORARKA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that National Airports Authority is in-charge oi the navigation equipment at the airports;

(b) whether this body is technically qualified to exercise this function;

(c) whether there has been a suggestion to transfer this function under the control of a technical authority like the DGCA; and

(d) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF ENERGY WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI ARIF MOHD. KHAN): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No Sir.

Cd) Does not arise.

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा शेडों के आवंटन में अनियमितताएं

1220. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 दिसम्बर, 1989 के दैनिक सांध्य समाचार पत्र "पब्लिक एशिया" में "दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम घपले कर रहा है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचत जनजातियों के शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिये कतिपय औद्योगिक शेडों का निर्माण किया गया था, लेकिन निगम के प्रमुख अभियंता ने इन शेडों का ऐसे पात्र व्यक्तियों को आवंटित किये जाने के बजाय पूंजीपतियों को आवंटित कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निगम के मदनगीर केन्द्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को एक भी शेड आवंटित नहीं किया गया है ;

(ग) उक्त केन्द्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कितनी महिलाओं ने शेडों के लिये आवेदन किया था तथा ऐसी कितनी महिलायें हैं जिन्हें साक्षात्कार के दौरान शेडों के आवंटन के लिये पात्र पाया गया है ; और

(घ) क्या इन शेडों के संबंध में स्वामित्वाधिकार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में लघु उद्योग एवं कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना) : (क) जी हां । किन्तु, निगम के मुख्य अभियंता का नाम प्रकाशित समाचार में नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार अनसूचित जाति/अनसूचित जनजाति श्रेणी का केवल एक महिला ने मदनगीर केन्द्र में शेड के आवंटन के लिये आवेदन किया था लेकिन जगह उपलब्ध न होने के कारण उन्हें दक्षिणपुरी में एक शेड आवंटित किया गया था ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन नहीं है ।